न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

जमानत आवेदन संख्या–86/2026 संगणक पंजियन संख्या–1327/2026

UPGZ010030172026

इसराईल पुत्र अहसान, निवासी–पीर वाली गली, मोहल्ला–रफीक नगर, थाना–हापुड़ कोतवाली नगर, जिला–हापुड़----------आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–616/2022
धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–विजयनगर, गाजियाबाद

12.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन मु०अ०सं०–616/2022 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–विजयनगर, जिलाः गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से हिना का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत आवेदन पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के आधिपत्य से जो भी बरामदगी दर्शित की गयी है वह फर्जी एवं झूंठी है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर धाराः 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में कारागार में निरूद्ध है एवं अभी तक समस्त अभियोजन साक्षी परीक्षित नहीं हुए हैं। जमानत पर रिहा किये जाने पर अभियुक्त के फरार होने अथवा अभियोजन साक्षीगण को अपने हित में

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.12 15:46:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रभावित करने का कोई भी अंदेशा नहीं है। अभियुक्त अपनी जमानत देने के लिये तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5– अभियुक्त के जमानत आवेदन के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) ने यह तर्क दिया है कि आवेदक अभियुक्त से 132 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर तथा आवेदक अभियुक्त के साथ गिफ्तार अन्य सह–अभियुक्त जफर के कब्जे से 125 एल्प्राजोलम पाऊडर बरामद हुआ है। अभियुक्त के पास से बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में आती है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः अपराध करने लगेगा। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) ने आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है। अतः आवेदक अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस हमराही बल द्वारा आपराधिक घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्त से 132 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर बरामद किया जाना अभिवर्णित है। आवेदक अभियुक्त से बरामद अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाऊडर वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। अपराध गंभीर है। प्रस्तुत मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों व बरामद अवैध नशीले पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **इसराईल** की ओर से मु०अ०सं०–616/2022 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–विजयनगर, जिलाः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–86/2026 निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480